रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052021-226865
CG-DL-E-06052021-226865

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 6, 2021/वैशाख 16, 1943
No. 142] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 6, 2021/VAISAKHA 16, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2021

विषय: यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय रबड़ रसायनों नामत: टीडीक्यू और पीएक्स-13 तथा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एमओआर एवं एमबीटीएस के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच में दिनांक 2 सितंबर, 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/05/2016-डीजीएडी में संशोधन।

फा. सं. 7/48/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''नियम'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

1. व्यापार उपचार महानिदेशालय (''प्राधिकारी'') ने दिनांक 2 सितंबर, 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/05/2016-डीजीएडी द्वारा कतिपय रबड़ रसायनों नामत: यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से

निर्यातित टीडीक्यू और पीएक्स-13 तथा चीन. जन. गण. के मूल से अथवा वहां से निर्यातित एमओआर और एमबीटीएस के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की। वित्त मंत्रालय के द्वारा सिफारिशें स्वीकार की गई थीं तथा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 54/2017-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 17 नवंबर, 2017 ("सीमा शुल्क अधिसूचना") द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाए गए थे।

ख. प्रक्रिया

2. पूर्व में सोलूटिया यूरोप बीवीबीए/एसपीआरएल के रूप में जाना गया सोलूटिया यूरोप बीवी (जिसे आगे आवेदक कहा गया है), द्वारा यह दावा करते हुए अनुरोध किया था कि कानून के प्रचलन में बदलाव होने की वजह से आवेदक ने बेल्जियम कम्पनीज एंड एसोसिएशन कोड द्वारा यथा अधिदेशाधीन सोलूटिया यूरोप बीवीबीए/एसपीआरएल के नाम को बदल कर सोलूटिया यूरोप बीवी किया है। उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिसूचना द्वारा अधिसूचित शुल्क सारणी में उत्पादक/निर्यातक का नाम बदलने के लिए व्यापार सूचना संख्या 12/2018, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 (जिसे आगे "व्यापार नोटिस" कहा गया है) के अनुसार अनुरोध किया गया है।

3. अनुरोध के स्वरूप को नोट करते हुए प्राधिकारी ने नाम बदलने संबंधी अनुरोध की जांच की तथा व्यापार नोटिस के संदर्भ में संबंधित हितबद्ध पक्षकारों से मत/टिप्पणियां लेने का निर्णय किया। उसके बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 4 मार्च, 2021 को मौखिक सुनवायी की जिसमें निर्यातक, आयातकर्ता एवं प्रयोक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया। मौखिक सुनवायी के दौरान आवेदक के अलावा किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने भाग नहीं लिया था। प्राधिकारी ने भागीदार नामत: आवेदक – निर्यातक को लिखित निवेदन दायर करने का निर्देश दिया। आवेदक-निर्यातक द्वारा दायर किए गए निवेदनों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

ग. अनुरोध

आवेदकों-सोलूटिया यूरोप बीवी, बेल्जियम के विचार

4. आवेदक, बेल्जियम, यूरोपीय संघ के मूल का है। यह निवेदन किया गया है कि बेल्जियम कम्पनीज एंड एसोसिएशन कोड (जिसे आगे "कोड" कहा गया है) को प्रभुसत्ता-सम्पन्न द्वारा संशोधित किया गया था तथा बेल्जियम के सरकारी राजपत्र में 4 अप्रैल, 2019 में संशोधित किया गया था।

5. कोड में लागू किए गए सुधारों के अनुसार कानून के प्रचलन से कंपनी ने "बेल्सलोटेन वेन्नूटस्चैप मैट वेपर्कटे आन्सप्राकेल्जिखेड" जिसका संक्षिप्ताक्षर "बी वी बी ए" है, को बदलकर " वेल्सलोटेन वेन्नूटस्चैप" कर दिया है जिसका संक्षिप्ताक्षर "बी वी" है। अधिकार क्षेत्र वाली सभी कंपनियों को उसके द्वारा 1 जनवरी, 2024 तक कोड में सुधार को प्रभावी बनाने के लिए आदेश दिया गया है। तदनुसार, कानून के प्रचलन में बदलाव होने की वजह से 1 जनवरी, 2021 से सोलूटिया यूरोप एसपीआरएल/बीवीबीएल नामक कंपनी सोलूटिया यूरोप बी वी के नाम के तहत व्यापार करेगी।

6. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17 सितंबर, 2018 के व्यापार नोटिस संख्या 12/2018 में विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों के नाम बदलने के प्रावधानों के बारे में तथा प्राधिकारी की सिफारिश के अनुसार शुल्क सारणी में नाम संबंधी बदलाव को प्रभावी करने की प्रक्रिया के बारे में कार्रवाई की जाती है। जहां पर नाम को बदलना केवल रिकार्ड के प्रयोजन के लिए है, वहां पर नाम में बदलाव करने हेतु जांच करने के लिए एक शीघ्र प्रक्रिया व्यापार नोटिस में निर्धारित है।

7. व्यापार नोटिस संख्या 12/2018, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 में यह आदेश भी होता है कि जिस किसी निर्यातक/उत्पादक को पाटनरोधी शुल्क जांच में अलग से कोई छूट प्रदान की गई हो, उसके द्वारा नाम में बदलाव होने के 90 दिनों के भीतर नाम बदलने के बारे में रिपोर्ट करना होता है। आवेदन में निवेदन किए अनुसार आवेदक ने 1 जनवरी, 2021 को नाम में बदलाव किया और उसके बाद कानून के द्वारा दिए आदेश के अनुसार 90 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर प्राधिकारी को नाम बदलने की सूचना देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

8. इसके अलावा, आवेदक यह अनुरोध करता है कि कानून को लागू करने के संबंध में बदलाव होने की वजह से नाम में बदलाव करना उस श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसके द्वारा नाम में बदलाव करना केवल ''रिकार्ड'' का ही मामला हो/निम्नलिखित मामले यह दर्शाते हैं कि आवेदक का नाम में बदलाव केवल अनुपालन के लिए है:-

क. आवेदक के प्रबंधन/ग्रुप में कोई बदलाव नहीं है।

ख. आवेदक के शेयरधारिता/स्वामित्व के ढांचे में कोई बदलाव नहीं है।

ग. आवेदक के व्यापार कार्य में कोई बदलाव नहीं है।

घ. आवेदक के नाम में बदलाव होने अथवा उसके बदले हुए परिदृश्य की वजह से कंपनी को किसी प्रकार का लाभ होने की संभावना नहीं है।

9 आवेदक ने विधि के अनुसार आवेदक के वास्तविक दावों को सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित प्रमाणों के साथ-साथ पूरा आवेदन विधिवत भर कर दिया है। व्यापार नोटिस के तहत आवेदन में आवेदक के द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

i. बेल्जियम कम्पनीज एंड एसोसिएशन कोड, संशोधन;

ii. निदेशक द्वारा वचनपत्र;

iii. वर्ष 2019 की लेखा परीक्षा की वर्ष वार्षिक रिपोर्टे ।

घरेलू उद्योग एवं हितबद्ध पक्षकारों के मत

10. घरेलू उद्योग अथवा किसी अन्य संबंधित हितबद्ध पक्षकारों से न तो कोई प्रत्युत्तर और न ही कोई लिखित निवेदन प्राप्त हुआ ।

घ. प्राधिकार द्वारा जांच

11. आवेदक द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई है और निम्नलिखित टिप्पिणयां की जा रही हैं :-

12. आवेदक के अनुसार निर्यातक के नाम को बदलने की जरूरत बेल्जियम के नए कानून के लागू होने की वजह से हुई है, जहां पर निर्यातक अवस्थित है।

13. यह भी नोट किया जाता है कि -

क. आवेदक के प्रबंधन/ग्रुप में कोई बदलाव नहीं है।

ख. आवेदक के शेयरधारणा/स्वामित्व के ढांचे में कोई बदलाव नहीं है।

ग. आवेदक के व्यापार कार्य में कोई बदलाव नहीं है।

घ. आवेदक के नाम में बदलाव होने अथवा उसके बदले हुए परिदृश्य की वजह से कंपनी को किसी प्रकार का लाभ होने की संभावना नहीं है।

14. जांच से यह भी पता चला कि यह अनुरोध केवल नाम में बदलाव होने की श्रेणी के अंतर्गत आता है और स्वामित्व संबंधी शेयरधारण के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, जिस कारण से व्यापार का मूल स्वरूप नहीं बदलता है। यह अनुरोध व्यापार नोटिस संख्या 12/2018, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है।

15. सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, प्राधिकारी दिनांक 2 सितंबर, 2017 के अंतिम जांच परिणाम 15/05/2016-डीजीएडी के पैरा संख्या 189 में दी गई शुल्क सारणी में निम्नलिखित बदलाव करने की सिफारिश करते हैं :-

क) कॉलम 6 में क्र. सं. 1 में उत्पादक का नाम यानी ''सोलूटिया यूरोप एसपीआरएल/बीवीबीए बेल्जियम'' को संशोधित करके ''सोलूटिया यूरोप बी वी'' किया जाए।

ख) कॉलम 7 के क्र. सं. 1 में निर्यातक का नाम यानी ''सोलूटिया यूरोप एसपीआरएल/बीवीबीए, बेल्जियम” को संशोधित करके “सोलूटिया यूरोप बी वी ” किया जाए।

16. तदनुसार, प्राधिकारी सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 54/2017-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 17 नवंबर, 2017 में बदलाव करने की सिफारिश करते हैं।

17. इस आदेश की वजह से केंद्रीय सरकार के आदेशों के विरूद्ध अपील अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2021

Subject: Amendment to the Final Finding Notification No.15/05/2016-DGAD dated 02nd September, 2017 in Sunset Review investigation of Anti-dumping duty imposed on the imports of Certain Rubber Chemicals, namely, TDQ & PX-13 originating in or exported from the European Union and MOR and MBTS originating in or exported from the Peoples Republic of China.

F.No. 7/48/2020-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Rules”) thereof;

A. BACKGROUND

1. The Directorate General of Trade Remedies ("Authority") had conducted an antidumping investigation concerning imports of Certain Rubber Chemicals, namely, TDQ & PX-13 originating in or exported from the European Union, and MOR and MBTS originating in or exported from the Peoples Republic of China and recommended imposition of definitive anti-dumping duties vide the final finding Notification No. 15/05/2016-DGAD dated 02nd September 2017 ("Final Findings"). The recommendations were accepted by the Ministry of Finance, and definitive duties were imposed vide Customs Notification No. 54/ 2017- Customs (ADD) dated 17th November, 2017 (“Customs Notification").

B. PROCEDURE

2. A request was made by Solutia Europe BV (hereinafter referred to as “Applicant”), previously known as Solutia Europe BVBA/SPRL, claiming that due to the change in operation of law, the Applicant has to effect a change in name from Solutia Europe BVBA/SPRL to Solutia Europe BV, as mandated by the Belgium Companies and Association Code. The request has been made in terms of the Trade Notice No. 12/2018 dated 17th September, 2018 (hereinafter referred to as “Trade Notice”), for change of name of the producer/exporter in the duty table as notified by abovementioned Customs Notification.

3. Noting the nature of the request the Authority examined the request for name change, and decided to seek views/comments from the concerned interested parties in terms of Trade Notice. Thereafter, the Authority conducted an oral hearing on 04th March, 2021, wherein, exporters, importers, and users were also invited. During the oral hearing, no interested party other than the applicant participated. The Authority directed the participant namely, applicant exporter to file written submissions. The submissions filed by the applicant exporter have been considered by the Authority.

C. SUBMISSIONS

Views of the Applicants-Solutia Europe BV, Belgium

4. The Applicant is based in Belgium, European Union. It has been submitted that the Belgium Companies and Association Code (hereinafter referred to as “Code”) was amended by the sovereign and notified in the Belgian Official Gazette on 04th April, 2019.

5. As per the reforms introduced in the Code, by operation of law, the company type “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, abbreviated as “BVBA”, has been replaced by “besloten vennootschap”, abbreviated as "BV". All Companies in the jurisdiction have been mandated to thereby bring into effect the reform in the Code by 01st January, 2024. Accordingly, with effect from January 1, 2021 Solutia Europe SPRL/ BVBA would trade under the name of Solutia Europe BV due to the change in operation of law.

6. The Trade Notice No. 12/2018 dated 17th September, 2018 issued by the Authority deals with the provisions for change of name by the foreign producer/exporters, and the procedure to bring the name change into effect in the duty table as recommended by the Authority. The Trade Notice prescribes an expedited procedure for conducting an investigation for change in name, where the change of name is a matter of ‘record’ only.

7. The Trade Notice No. 12/2018 dated 17th September, 2018 also mandates that any Exporter/Producer that has been granted an individual margin in an ADD investigation has to report a name change within 90 days of change in name becoming effective. The Applicant, as submitted in the Application, effected the name change on 01stJanuary, 2021 and thereafter filed an application intimating the name change to the Authority within the statutory period of 90 days as mandated by the law.

8. Further, the Applicant submits that the change of name due to change in operation of law falls under the category whereby the change of name is a matter of ‘record’ only. The following showcases that name change of the Applicant is a mere compliance -

   a. There is no change in management/promoter group of the Applicant.

   b. There is no change in the shareholding/ownership structure of the Applicant.

   c. There is no change in the business practice of the Applicant.

   d. There is no likely advantage to the entity due to the change in name or changed scenario of the Applicant.

9. The Applicant has, in accordance with the law, duly filed a complete application along with all the required evidences to establish the bona-fide claims of the Applicant. The following has been filed by the Applicant in the application under the Trade Notice –

   i. Belgium Companies and Association Code, amendment;

   ii. Undertaking by the Director;

   iii. Audited Annual Reports for the year 2019.

Views of the Domestic Industry & Interested Parties

10. Neither any response nor any written submission received from Domestic Industry or any other concerned interested parties.

D. <u>EXAMINATION BY THE AUTHORITY</u>

11. The submissions made by the applicant have been examined and following observations are being made.

12. As per the Applicant, the need for change in name of the exporter has emerged from introduction of new law in Belgium, where the exporter is located.

13. It is also noted that:

   a. There is no change in management/promoter group of the Applicant.

   b. There is no change in the shareholding/ownership structure of the Applicant.

   c. There is no change in the business practice of the Applicant.

   d. There is no likely advantage to the entity due to the change in name or changed scenario of the Applicant.

14. The examination further revealed that the request falls within the category of name change only, and there is no change in shareholding pattern of ownership which do not alter the basic nature of the business. The request is covered within the scope of the Trade Notice No 12/ 2018 dated 17th September, 2018.

15. Having considered all aspects, the Authority, recommends following change in the duty table in para no. 189 of the final finding 15/05/2016-DGAD dated 02nd September, 2017:

   a) at S. No. 1 in column 6, the name of the producer viz. “Solutia Europe SPRL/BVBA, Belgium” be amended to “Solutia Europe BV”.

   b) at S. No. 1 in column 7, the name of the exporter viz. “Solutia Europe SPRL/BVBA, Belgium” be amended to “Solutia Europe BV”.

16. Accordingly, the Authority recommends the change in the Customs Notification no.54/2017- Customs (ADD) dated 17th November 2017.

17. An appeal against the orders of the Central Government arising out of this order shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.05.06 16:38:45 +05'30'